न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 43 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 179

विनोद सी / ओ एड. जीएस व्यास, दुवे की चौकी के पास की गली, कीकानी व्यासों का चौक, बीकानेर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 21.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना विहित प्रारूप में उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत कर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया।

अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के पत्रांक एसपीआईओ / आरटीआई / 2024 / 105 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कार्यालय अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं माननीय सवौच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों से संबंधित जीवन और स्वतंत्रता की प्राप्ति बाबत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के परंतुक के अनुसार अधिकतम अवधि आवेदन प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर सूचना दिये जाने के संबंध में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.10.2024 को आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया दिनांक 02.10.2024 एवं 03.10.2024 को राजकीय अवकाश होने के कारण नियत समय 48 घण्टे पूर्ण हो चुका था। दिनांक 04.10.2024 को कार्यालय खुलने पर पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का निस्तारण कर दिया गया। उक्त आवेदन के संबंध में प्रस्तुत जवाब "आवेदन के बिन्दू सं. 1 में चाही गई सूचना कार्यालय तहसीलदार रायसिंहनगर से संबंधित है। आवेदन के बिन्दू सं. 2 में चाही गई सूचना के विवरणानुसार इस कार्यालय को आवेदन प्राप्त होना नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु आवेदक द्वारा आवेदन के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों में से ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है जिससे यह सिद्ध हो कि सूचना आवेदक के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है। जिसके कारण आवेदन निरस्त किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के धारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सूचनी जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित होने के कारण 48 घण्टों में दो बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी। आवेदक / अपीलार्थी के द्वारा सार्वजनिक अवकाश के दिवस आवेदन फाईल किया गया और निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रत्यर्थी के द्वारा अवकाश के उपरान्त कार्यालय खुलने के प्रथम दिवस को ही अपीलार्थी को उनके द्वारा वांछित सूचनाओं के संबंध में अपना प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना प्रदान नहीं करने के आधार पर ऑनलाईन प्रेषित की गयी है। हम प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से सहमत है कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना अपने जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित होने के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज अथवा युक्तियुक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को पालनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़